सं. टीएएमपी/27/2005-विविध
15 मई 2007

विषय: वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए, महापत्तनों और उधर प्रचालित निजी टर्मिनलों को अनुज्ञेय व्यय प्रक्षेपण के लिए वार्षिक वृद्धि घटक तथा लगाये गये पूँजी पर प्रतिलाभ का दर।

संशोधित प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के खंड 2.9.2 के अनुसार इस प्राधिकरण को मूल पैरामीटरों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुंए प्रतिवर्ष अप्रैल में, आरओसीई के दरों की समीक्षा करना अपेक्षित है। तद्नुसार, क्रिसिल (CRISIL) सलाहकार सेवाओं से प्राप्त किये गये संबन्धित पैरामीटरों के अद्यतन मूल्य के आधार पर, आरओसीई के प्रचलित दरों की एक समीक्षा ली गयी थी।

2. तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2007-2008 में निर्णय किये जानेवाले महापत्तनों और उधर प्रचालित निजी टर्मिनलों के प्रशुल्क प्रकरणों के लिए, अधिकतम आरओसीई को 16% पर निर्धारित किया गया है।

3.1. संशोधित प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के खंड 2.5.1 यह अपेक्षा करता है कि महापत्तनों/टर्मिनल प्रचालकों के व्यय प्रक्षेपण (आँकडे), भारत सरकार द्वारा सभी वस्तुओं के लिए घोषित किये गये थोकव्यापार मूल्य सूचकांक की वर्तमान गति के संदर्भ में, कीमत उतार-चढ़ाव के लिए समायोजित यातायात के साथ एकसमान होना चाहिए।

3.2. वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए औसत स्फीत दर को भारत सरकार से अभिनिश्चित किया गया था। तद्नुसार, वर्ष 2007-2008 के दौरान निर्णय किये जानेवाले प्रशुल्क प्रकरणों में विचार की जानेवाली लागत सारणियों में प्राप्त व्यय प्रक्षेपण (आँकडें) के लिए 5.40% वृद्धि घटक विचार किया जायेगा।